कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूसराय।

ई0 मेलः– csbegusarai@gmail.com बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग दूरभाष सं0ः– 06243–225512

Department Website:- www.health.bih.nic.in

–: अल्पकालिन निविदा आमंत्रण सूचना :–

बेगूसराय जिलाअन्तर्गत सदर अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल/रेफरल अस्पताल एवं विभिन्न स्वास्थ्य इकाईयों के लिए वित्तीय वर्ष 2015–2016 में स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 379 (9) दिनांक 26.08.2002 पत्रांक 73 (9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में दवा, रसायन, मशीन उपकरण, उपस्कर, सामग्री पूर्तियाँ के क्रय हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी निर्माताओं एवं अधिकृत आपूर्तिकत्ताओं से मुहरबंद निविदा निबंधित डाक द्वारा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रथम प्रकाशन तिथि से 15 वें (पंद्रहवें) दिन के अपराह्न 05:00 बजे तक स्वीकार किया जायेगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के दूसरे दिन पूर्वाह्न 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के प्रकोष्ठ में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत भी उपस्थित रह सकते है। यदि निविदादाता उपस्थित नहीं होते है तो उनकी अनुपस्थिति में भी निविदा खोली जायेगी। निविदा द्वि–लिफाफा पद्धति से देना होगा। तकनीकि निविदा में सभी कागजात अभिलेख एवं निर्मित दवा, उपकरण, सामग्री, मशीन, उपकरण का विवरण (Specification) तथा वित्तीय निविदा में दवा/मशीन उपकरण/सामग्री का नाम, निर्माता कम्पनी का नाम एवं दर रहेगा।

निविदा शर्त्त निम्न प्रकार है :–

1. निविदादाता को निविदा के साथ जमानत राशि के रूप में 50,000.00 (पचास हजार) रूपये मात्र का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो सिविल सर्जन, बेगूसराय के पदनाम से हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
2. दवा, रसायन, उपस्कर, सामग्री एवं मशीन उपकरणों की सूची तथा निविदा की अन्य शर्त्त निविदा प्रकाशन की तिथि से 10 वें (दसवें) दिन तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि में मांग पत्र के साथ प्राप्त किया जा सकता है, जिनके नाम से निविदा सूची निर्गत नहीं होगी। उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। विशेष जानकारी के लिए बेवसाईट **www.prdbihar.org** एवं जिले के वेबसाईट **www.begusarai.bih.nic.in** के Tender Menu पर देखा जा सकता है।

निविदा की अन्य शर्त्त :–

3. सभी निविदादाताओं को निविदा के साथ आयकर पैन एवं बिक्रीकर निबंधन प्रमाण–पत्र सी0–1 की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

4. निविदा के साथ निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता को निर्माता कम्पनी का औषधि अनुज्ञप्ति एवं नवीकरण प्रमाण–पत्र निर्माण सूची के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्माता फर्म के द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र के आधार पर निविदा देने वाले आपूर्तिकर्त्ता को विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से प्राधिकार पत्र मूल में सिविल सर्जन, बेगूसराय के नाम से निर्गत ही मान्य होगा।

5 आपूर्तिकर्त्ता/निर्माता का तकनीकी निविदा तथा वित्तोय निविदा का Drug Item और Non Drug Item का कागजात अलग–अलग लिफाफा में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. निविदादाता द्वारा फर्म के मालिक/पाटर्नर/निदेशक का नाम, पता एवं दूरभाष संख्या सहित उल्लेखित रहना अनिवार्य होगा।

7. आपूर्तिकर्त्ता/आपूर्तिकर्त्ता के निर्माताओं से संबंधित Drug का Non Conviction Certificate संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. तकनीकी/वित्तीय निविदा में आपूर्तकर्त्ता के प्रत्येक पृष्ठ पर स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान का मुहर सहित पृष्ठांकित Paging के साथ ही निविदा में दी गई कागजातों की विवरणी किस पृष्ठ पर कौन कागजात संलग्न की विवरणी (विषय सूची) देना अनिवार्य होगा।

9. आपूर्तिकर्त्ता को निर्माता का मूल सूची Form-[V] वित्तीय निविदा में Drug Price Control Order के तहत उक्त दवाओं का Form-[V] उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

10. निविदा से सभी संबंधित कागजात सुस्पष्ट पठनीय होना चाहिए।

11. दवा कंपनी के तकनीकी निविदा में निर्माता के ड्रग लाइसेंस के साथ अद्यतन अनुमोदित प्रोडक्ट सूची ड्रग कंट्रोल विभाग से अनुमोदित होना चाहिए।

12. आपूर्तिकर्त्ताओं का वित्तीय निविदा में वित्तीय दर के साथ कंपनी के पूरा नाम के साथ उसकी एम0 आर0 पी0 देना अनिवार्य होगा, और संबंधित दवा का Composition स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध होना चाहिए।

13. आपूर्तिकर्त्ता अपने–अपने प्राधिकृत निर्माताओं का वित्तीय दर प्राधिकृत निर्माताओं के अनुसार ही मान्य होगा।

14. विगत दो वर्ष का औसतन वार्षिक टर्न ओभर 50,00000 (पचास लाख) होना चाहिए इससे कम का टर्न ओभर वाले फर्म निविदा में भाग लेने योग्य नहीं होंगें तथा विगत दो वित्तीय वर्ष का ऑडिट प्रतिवेदन अथवा Balance Sheet संलग्न करना होगा। एक करोड़ से अधिक टर्न ओभर वाले फार्म को ऑडिट प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा।

15. आपूर्ति के समय दवाओं पर **Govt. Hospital Supply Not for Sale** अंकित होना अनिवार्य है एवं **MRP** भी अंकित नहीं होना चाहिए।

16. प्रत्येक स्थिति में दवाओं एवं अन्य सामानों का गुण–कोटि कार्यकुशलता एवं टिकाउपन को ध्यान में रखना अनिवार्य होगा।

17. दवा एवं रसायन के लिए **W.H.O. G.M.P/G.M.P./ISO-9001** सिरिज के मानक स्तर तथा मशीन उपकरण हेतु **ISO-9001** सिरिज/सी0 ई0 मार्क/ISI मार्क वाले उत्पाद ही मान्य होंगे।

18. निविदा में प्रत्येक औषधियाँ एवं अन्य सामग्रियों का दर टैक्स सहित एवं टैक्स रहित स्पष्ट अक्षरोंमें अंकित रहना अनिवार्य है। मशीन उपकरण पर निर्माता का नाम **EMBOSS** रहना चाहिए।

19. निविदादाता को आपूर्ति आदेश की प्राप्ति की तिथि से 21 दिनों के अंदर अपने खर्च पर आपूर्ति आदेश निर्गत करने वाले पदाधिकारी के दवा भंडार तक पहुँचाना होगा। आपूर्ति में टूट–फूट एवं विलम्ब के लिए किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

20. आपूर्ति को जानेवाली दवा की समाप्ति तिथि कम से कम 18 माह होना चाहिए।

21. आपूर्ति की गई दवाओं का निरीक्षण संबंधित औषधि निरीक्षक एवं मशीन उपकरण का निरीक्षण संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा किये जाने के पश्चात ही प्रयोग में लायी जायेगी।

22. आपूर्ति की जाने वाली दवाओं का विश्लेषण प्रतिवेदन विपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

23. आवश्यतानुसार निर्माता फर्म के फैक्ट्री स्थल का भी निरीक्षण किया जायेगा।

24. जिला क्रय समिति द्वारा स्वीकृत दर, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए मान्य होगा।

25. वैसे लघु उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग, बिहार सरकार से निबंधित हो उसको नियमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी।

26. निविदादाता को सामग्री/उपकरण आदि का एक–एक नूमना जिला क्रय समिति के समक्ष माँगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा, ताकि नमूना के आधार पर गुणवत्ता की पहचान किया जा सके।

27. निविदा संबंधित आवश्यक संशोधन अथवा निविदा रद्द करने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।

28. निविदा संबंधित किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र बेगूसराय जिला होगा।

29. आपूर्ति किये गये दवाओं एवं सामग्री के निम्न स्तर के पाये जाने पर संबंधित फर्म को काली सूची में डालते हुए नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी तथा की गई भुगतान वापस ली जा सकती है।

30. कोट किये जाने वाले सामग्री एवं मशीन उपकरणों का रंगीन कैटलॉग मॉडल संख्या के साथ संलगन रहना चाहिए अन्यथा विचारणीय नहीं होगा।

31. निविदा के साथ स्थानीय औषधि निरीक्षक/एस0 एस0 आई0 यूनिट के लिए उद्योग विभाग या अन्य संबंधित पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्यरत रहने संबंधी प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा।

32. एकल निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

33. निविदादाता को बिहार वित्तीय नियमावली के शर्त्तो, जिसका उल्लेख नहीं भी किया गया हो के अधीन निविदा देना होगा।

34. विदेश से आयात किये जाने वाले मशीन उपकरण के लिए संबंधित फर्म का आयात/निर्यात अनुज्ञप्ति संलग्न करना होगा।

35. कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये दवा/मशीन उपकरण/सामग्रियों की सूची का क्रमांक निविदादाता अपने वित्तीय निविदा में उसी क्रमांक के अनुसार अंकित होना ही मान्य होगा।

36. निविदादाता द्वारा मैनुअल टाईपिंग वित्तीय निविदा में स्वीकार नहीं किया जायेगा। केवल कम्प्यूटर टाईपिंग द्वारा ही मान्य होगा।

37. निविदादाता को इस आशय का मूल में शपथ–पत्र देना होगा कि प्रतिष्ठान काली सूची में दर्ज नहीं है, निविदा में संलग्न कागजात गलत पाये जाने पर अनुमोदित दर रद्द करते हुए समुचित अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। निविदादाता को इस आशय का भी मूल में शपथ–पत्र देना होगा कि वित्तीय निविदा में अंकित दर बाजार दर से कम है।

38. एक निर्माता फर्म यदि दो या उससे अधिक आपूर्तिकर्त्ता को प्राधिकार पत्र निर्गत करते है तो सभी के निविदा के उक्त अंश को रद्द समझा जायेगा।

39. औषधियों का निर्माण एवं लेबल इत्यादि औषधि अंगराग अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के अनुरूप होना चाहिए।

(डा0 हरि नारायण सिंह)
असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–
मुख्य चिकित्सा पदा0, बेगूसराय।